

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

पत्रांक- 185 /सोनभद्र/ 33 ,दिनांक, रावर्टसगंज, जुलाई 24, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
भीरजापुर क्षेत्र,
भीरजापुर।

विषय- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत से सिरसिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.20 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.79 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/316/2022/एफसी/109 दिनांक- 04.05.2023, उ0प्र0 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1106/सोनभद्र/33 दिनांक-04.01.2025, आपका पत्रांक-810/मी0/33 दिनांक-20.08.2024।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक-3117/सोनभद्र/33 दिनांक-12.06.2024 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/316/2022/एफसी/109 दिनांक- 04.05.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक-01.08.2025 के माध्यम से निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है-

1. The Notification of Non Forest Land (NFL) under section-29 of Indian Forest Act 1927 needs to be submitted.

उक्त के अनुपालन में जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सुअरसोत से सिरसिया सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 11.79 हे0 वन भूमि एवं भदई अरार से मकरीबारी मार्ग में प्रभावित 18.5193 हे0 वनभूमि के सापेक्ष पटना रेंज के ग्राम-बैजनाथ अन्तर्गत प्राप्त कुल-30.3093 हे0 गैर वनभूमि का असाधारण गजट संख्या-12/81-2-2025-29(12)-2025 दिनांक-21.07.2025 संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयक परियोजना में विधिवत स्वीकृति (स्टेज-2) जारी करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ लखनऊ: दिनांक २४ जुलाई, २०२५

विषय:- जनपद-सोनभद्र के पटना रेंज के ग्राम बैजनाथ के अन्तर्गत प्राप्त ३०.३०९३ हे० भूमि भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २९ के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-०८/११-बी-६ (धारा-२९), दिनांक ०३.०७.२०२५ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-सोनभद्र के पटना रेंज के ग्राम बैजनाथ के अन्तर्गत प्राप्त ३०.३०९३ हे० भूमि भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा २९ के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२- इस सम्बन्ध में प्रकरण में निर्गत अधिसूचना दिनांक २१.०७.२०२५ की उक्त तिथि को असाधारण गजट में प्रकाशित प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है की कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक प्रकाशित अधिसूचना की प्रति

Digitally signed by
VINAI KUMAR PATHAK
Date: 24-07-2025
12:39:17

भवदीय,

(विनय कुमार पाठक)
उप सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025

आषाढ़ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 12/81-2-2025-29(12)-2025

लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-116

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	वन खण्ड	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनभद्र	राबर्टसगंज	विजयगढ़	बैजनाथ	1	8क	1.125	उत्तर-गाटा संख्या-2 (रोड) दक्षिण-गाटा संख्या-9 पूरब-गाटा संख्या-7 पश्चिम-गाटा संख्या-8 का शेष भाग।
				2	10ख	0.91	उत्तर-गाटा संख्या-9 दक्षिण-गाटा संख्या-11 पूरब-गाटा संख्या-11 पश्चिम-गाटा संख्या-11 और गाटा संख्या-10 का शेष भाग।

1	2	3	4	5	6	7	8
				3	45घ	1.970	उत्तर-गाटा संख्या-35, 41, 42 और 44 दक्षिण-गाटा संख्या-45 का शेष भाग और गाटा संख्या-48 पूरब-गाटा संख्या-40, 41 और गाटा संख्या-45 का शेष भाग। पश्चिम-गाटा संख्या-45 का शेष भाग।
				4	702ग	2.406	उत्तर-गाटा संख्या-702 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-105 (रोड)। पूरब-गाटा संख्या-702 का शेष भाग और गाटा संख्या-701 पश्चिम-गाटा संख्या-703
				5	718ग	5.7773	उत्तर-गाटा संख्या-718 का शेष भाग 632, 607 और गाटा संख्या -606 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-718 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-719 पश्चिम-गाटा संख्या-606, 607, 632 और गाटा संख्या-718 का शेष का भाग।
				6	722 719क	1.030 1.375	उत्तर-गाटा संख्या-105 (रोड)। दक्षिण-गाटा संख्या-719 का शेष भाग, 726 से सटा हुआ। पूरब-गाटा संख्या-723, 725, 726 से सटा हुआ। पश्चिम-गाटा संख्या-719 का शेष भाग और गाटा संख्या-721
				7	541क	2.098	उत्तर-गाटा संख्या-541 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या- 687, 688 और 689 पूरब-गाटा संख्या-540 और 539 पश्चिम-गाटा संख्या- 541 का शेष भाग।

1	2	3	4	5	6	7	8
				8	768ग	5.833	उत्तर-गाटा संख्या-728, 729, 766, 767, गाटा संख्या-768 का शेष भाग और 727 से सटा हुआ। दक्षिण-गाटा संख्या-768 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-777 और 766 पश्चिम-गाटा संख्या-719, 728 और 729
				9	1305	0.530	उत्तर-गाटा संख्या-1329
					1306	0.510	दक्षिण-गाटा संख्या-1310 का शेष भाग, गाटा संख्या-1309 का शेष भाग, गाटा संख्या-1308 का शेष भाग और गाटा संख्या-1304
					1308ग	0.185	पूरब-गाटा संख्या-1329, 1304, 1308 और 1309
					1309क	0.491	पश्चिम-गाटा संख्या-1312, 1311 और 1308
					1303ख	3.800	
				10	1313	0.810	उत्तर-गाटा संख्या-1329, 1318
					1314ख	1.310	दक्षिण-गाटा संख्या-1314 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-1312 और 1311 पश्चिम-गाटा संख्या-1318
योग					17 गाटा	30.3093	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/LXXXI-2-2025-29(12)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 12/LXXXI-2-2025-29(12)-2025

Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Forest Block	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonbhadra	Robertsganj	Vijaygarh	Bajjnath	1	8 K	1.125	North-Gata No. 2 (Road) South-Gata No. 9 East-Gata No.7 West-Remaining part of Gata No.8
				2	10KH	0.91	North-Gata No. 9 South-Gata No. 11 East-Gata No.11 West-Gata No.11 and Remaining part of Gata No.10
				3	45GH	1.979	North- Gata No.- 35, 41,42 and 44 South- Gata No.- Remaining part of Gata No. 45 and Gata No. 48 East-Gata No. 40, 41 Remaining part of Gata No. 45 West- Remaining part of Gata No. 45
				4	702CH	2.406	North-Remaining part of Gata No.- 702 South-Gata No.- 105(Road) East-Remaining part of Gata No.- 702 and Gata No.- 701 West- Gata No. 703

				5	718G	5.7773	North-Remaining part of Gata No.- 718, 632, 607 and 606 South- Remaining part of Gata No.- 718. East- Gata No.-719. West- Gata No.- 606, 607, 632 and Remaining part of Gata No.- 718
				6	722 719K	1.030 1.375	North-Gata No.- 105 (Road) South-Remaining part of Gata No.- 719 on touch Gata No.726. East- Gata No. 723, 725 on touch Gata No.726. West-Remaining part of Gata No.719 and Gata No.721.
				7	541K	2.098	North-Remaining part of Gata No.541 South-Gata No.687, 688 and 689. East-Gata No.540 and 539. West- Remaining part of Gata No.541.
				8	768G	5.833	North-Gata No.728, 729, 766, 767 Remaing part of Gata No.768 and on touch Gata No.727 South-Remaining part of Gata No.768. East-Gata No.777 and 766. West- Gata No.719, 728 and 729.
				9	1305 1306 1307 1308G 1309K	0.530 0.510 0.140 0.185 0.491	North-Gata No.1329 South-Remaining part of Gata No.1310,

					1310KH	3.800	Remaining part of Gata No.1309, Remaining part of Gata No.1308 and Gata No.1304. East-Gata No.1329, 1304, 1308 and 1309. West- Gata No.1312, 1311 and 1308.
				10	1313	0.810	North-Gata No.1329, 1318.
					1314KH	1.310	South-Remaining part of Gata No.1314. East-Gata No.1312 and 1311. West- Gata No.1318.
				Total	17 Gata	30.3093	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.